कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/2023 4276 जबलपुर दिनांक,19 /05/2023

//विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभागा मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1132/स्था/अराज/2022 दिनांक 15/06/2022 के तहत अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पदों की अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक, बायोमेडिकल इंजीनियर एवं मेडिकल रिकार्ड ऑफीसर के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जानी है । इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं ।

उपरोक्त पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईटः- www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 22/06/2023 समय रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन किये जा सकेंगे । आवेदन हेतु तिथि निम्नानुसार है ।

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	23/05/2023
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	22/06/2023
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	20/06/2023
4	ओवदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	24/06/2023
5	प्रवेश पत्र जारी होने की संभावित तिथि	प्रवेश पत्र एवं परीक्षा तिथि हेतु सूचना पृथक से एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट एवं नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर प्रकाशित की जावेगी ।
6	परीक्षा की संभावित तिथि	

नोटः- परीक्षा का समय एवं स्थान अभ्यार्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा, एवं समस्त सूचनाएं नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर प्रकाशित की जावेगी ।

(डॉ. गीता गुईन)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अन्यर्थी को विनिश्चत मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड/ आधार कार्ड को छायाप्रति / आधार नम्बर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेब्लस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं । अतः आवेदन- पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
8. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी (English)/ हिन्दी होगा।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण-पत्र का परीक्षण एम.पी. ऑनलाइन द्वारा नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

परीक्षा आयोजन के नियम एवं निर्देश

चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में अस्पताल प्रबंधन के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1-1/2022/2/55 भोपाल दिनांक 01/06/2022 के तारतम्य में "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म प्र भोपाल के पत्र क्रमांक 1132/स्था/अराज/2022 दिनांक 15/06/2022 के अंतर्गत अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत पदों की संशोधित अनुसूचियां के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एवं संबद्ध चिकित्सालयों में निम्नलिखित रिक्त पदों पर आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूची एम. पी. ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है :-

निरंतर :- 03

Dean
Medical College, Jabalpur

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर					एक मुश्त वेतन
			UR	OBC	ST	SC	EWS	
01	उप रजिस्ट्रार	01	01	-	-	-	-	60,000/-
02	अस्पताल प्रबंधक	02	02	-	-	-	-	60,000/-
03	अस्पताल सहायक प्रबंधक	05	03	01	01	-	-	40,000/-
04	बायोमेडिकल इंजीनियर	04	02	01	01	-	-	60,000/-
	कुल	12	08	02	02	-	-	-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर					वेतनमान
			UR	OBC	ST	SC	EWS	
01	मेडिकल रिकार्ड ऑफीसर	02	01	01	-	-	-	15600-39100+5400
		02	01	01	-	-	-	

नोट :- पदों की संख्या नियमानुसार बढ़ाई / घटाई जा सकेगी।

02. अर्हताएं एवं मासिक वेतन :-

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	एकमुश्त मासिक वेतन
1	2	3	4	5
1.	उप रजिस्ट्रार	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management/ M.B.A (H.R) 2. शासकीय/स्वाशासी महाविद्यालय अथवा स्वशासी/ निजी चिकित्सा महाविद्यालय में अकादमिक/ प्रबंधकीय कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।	60,000/-
2.	अस्पताल प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management. 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 03 वर्ष का अनुभव।	60,000/-
3.	अस्पताल सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management. 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 01 वर्ष का अनुभव।	40,000/-
4.	बायोमेडिकल इंजीनियर	21 वर्ष	1. B.E. (in Bio Medical Engineer). 2. 300 बिस्तरीय अस्पताल में 01 वर्ष का अनुभव अनुभव।	60,000/-
5.	मेडिकल रिकार्ड ऑफीसर	18 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय/ संस्था में चिकित्सा अभिलेख/तकनीकी में एक वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य।	15600-39100+5400

1. उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक एवं अस्पताल सहायक प्रबंधक के पदों हेतु परीक्षा 01 प्रश्न पत्र द्वारा एक ही तिथि को आयोजित की जावेगी, यदि आवेदक इन पदों हेतु एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो आवेदक को उस परीक्षा का प्राप्तांक अन्य आवेदित पदों की मेरिट सूची में रखा जावेगा।
2. यदि आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करता है तो प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन करना होगा।
3. एकमुश्त मासिक वेतन के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी.आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर वेतन पर वार्षिक वृद्धि देय होगी।

Dean
Medical College, Jabalpur

निरंतर :- 04

4. भारत का राजपत्र क्र. 27 जुलाई 6 जुलाई 11, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रीयों का विनिर्देशन के अनुसार एम.एच.एम को एमबीए / एम कॉम (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए, की अधिसूचना जारी की गयी है। अतः उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक एवं अस्पताल सहायक प्रबंधक के पद जिनकी शैक्षणिक अर्हता अनुसूची अनुसार एम.एच.ए. निर्धारित हैं ऐसे पदों पर उक्त अधिसूचना के अनुसार योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते है।

03. आरक्षण :-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (Verical) आरक्षण लागू होगा-

अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

(2) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट / शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(3) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग/ म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग / माननीय न्यायालय द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो, नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तद्समय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

04. <u>यात्रा भत्ता</u> - अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

05. <u>परीक्षा केन्द्र</u> - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एम.पी. ऑनलाइन के द्वारा किया जावेगा।

06. <u>निरर्हता</u> -

(1) अभ्यर्थी की केवल यह जन्मतिथि स्वीकार होगी जो हाईस्कूल, हायर सेकण्ड्री या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीरा वापस किये जाने का दायित्व नहीं होगा।

(2)(क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह पोपल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2) (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां है या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

Dean
Medical College, Jabalpur

निरंतर :- 05

(2)(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या प्रतिरूपण किया / कराया गया हो।

4. कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो।

5. भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन / प्रपत्र / अनुप्रमाणन / दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई गई हो।

6. परीक्षा के समय अनियमित / अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो।

7. परीक्षा के समय लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को धमकाया / दुर्व्यहार किया गया हो।

8. ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।

9. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

07. <u>अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति</u> -

अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई अभ्यर्थी जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्यात जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए. नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

08. <u>अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा</u> -

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर गूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

09. <u>अभ्यर्थिता का रद्द करने के लिए</u> -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्ही आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने

(क) ऑनलाइन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अन्यर्थिता प्रभावित हुई है, या

(ख) प्रतिरूपण किया हो. या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो, या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों, या

(ख) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो,जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो, या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों, या

निरंतर :- 06

Dean
Medical College, Jabalpur

(ड.) ऐसे विवरण दिए हों जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो, या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो, या

(ज) परीक्षा कक्षा में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक / वीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो, या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक / वीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो, या

(ञ) परीक्षा कक्षा में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

10. <u>सामान्य शर्तें</u> -

(1) आवेदक की आयु गणना दिनांक 01.01.2023 के आधार पर की जावेगी। -
म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

- अनारक्षित वर्ग के लिए - 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / निःशक्तजन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिये - 45 वर्ष

(2) नियुक्ति उपरांत परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नहीं होगा।

(3) नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(4) . ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा ।

(6) उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनविार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।

(7) अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

(8) चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

(9) नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा ।

(10) ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

(11) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन / चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

निरंतर :- 07

Dean
Medical College, Jabalpur

(12) नियुक्ति इस संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

(13) वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो ।

(14) सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी ।

(15). किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

(16). भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

(17). आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है।

- निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र।

(18) भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती में राज्य स्तरीय पदों / संवर्गों हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

(19) स्क्रूटनी परिणाम एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in एवं www.mponline.gov.in पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें। यदि आवेदक समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो अभ्यार्थी की दावेदारी मान्य नही की जायेगी।

(20) परीक्षा का समय एवं स्थान अभ्यार्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा, एवं समस्त सूचनाएं नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.nscbmc.ac.in पर प्रकाशित की जावेगी

11. <u>आवेदन कैसे करें</u> :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ लें । आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ।

2. आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाईट उपलब्ध है ।

3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र
2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की मार्कशीट ।
3. फोटो पहचान प्रमाण पत्र ।
4. उम्मीदवार व नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर ।
5. 12वी कक्षा की अंकसूची ।
6. जाति प्रमाण पत्र ।
7. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
8. प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित (200 kb) आकार से अधिक न हो।

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200KB से अधिक न हो ।

12. ऑनलाईन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in पर दिये लिंक पर उपलब्ध है । परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोसकों के माध्यम से भरा जा सकता है । एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए एम.पी.आनलाईन www.mponline.gov.in पर Authoeized Kiosk list link देखें । आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम या घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन फार्म भरे सकते हैं ।

निरंतर :- 08

Dean
Medical College, Jabalpur

13. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

- आवेदन एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in बेवसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवायें ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन से आवेदन पत्र ऑपशन से क्लिक करने के पश्चात नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल जबलपुर के लोगो पर क्लिक कर एप्लीकेशन एण्ड सर्विसेस ऑप्शन पर उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी गई लिंग पर क्लिक करें।
- आवेदनक ऑनलाईन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. ऑनलाईन www.mponilne.gov.in बेवसाईट के माध्यम से नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाईन फार्म दिखाई देगा । आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है । आवेदक को फार्मा पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन browse दिखाई देगा। जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है, इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगा । Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फार्मेट को स्केन करें Jpg. 200 kb size or minimum) फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browes बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने आपना फोटो हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें ।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी है वह सही है । यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई हो तो पुन: उसे ठीक करें, इसके उपरांत Submit बटन दबायें । इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा । इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑपशन दिखाई देंगे ।

  अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब. इंटरनेट बैंकिंग

अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतन- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है । ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी बैक के क्रेडिट/डेविड कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है । आवेदक फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा इसमें क्रेडिट/डेविड कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है । आवेदक कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी, जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें ।

ब. इंटरनेट माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक चाहे तो घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है । इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है । आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग ऑप्शन दिखाई देगा इसे क्लिक करने पर वह अपने बैक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा । इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकांउट से शुल्क का भुगतान कर सकता है । सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन को स्क्रीन पर पवती नम्बर और आवेक का विवरण दिखाई देगा । इसका प्रिंट आवश्यक लें ।

14. एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपनी नजदीकी एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा । कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग-इन करेगा ।

Dean
Medical College, Jabalpur

निरंतर :- 09

इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदन इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलबध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज को फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदका का फोटो हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटेच् करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाइर्न फार्म में समस्त जानकारियां सही-सही भरे होन के उपरांत ही कियोस्क संचालक को proced to payment बटन दबाकर करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगर भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानूपर्वक पढ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

15. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता की पूरी उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।
16. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिड कार्ड या नेटबैंकिग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फाम्र का कियोस्क के माध्यम से Pay for Unpaid Application में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत procced to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाइन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता हैं/ पेमेंट रसीद जेनरेट नहीं हो रही हैं तो तत्काल पुन: पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वत: निरस्त हो जायेगा। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डॉक् या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती हैं तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

:- एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गांधी नगर भोपाल- 462003, फोन:- 0755 6720200 / 0755-6720222 पर संपर्क करें।

17. <u>मैरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया</u> :-

:- भर्ती परीक्षा उपरांत कॉमन, श्रेणीवार एवं सवर्गवार मेरिट सूची अभ्यर्थियों के भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा तैयार की जायेगी। उपरोक्त परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की परस्पर मेरिट सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया क्रमानुसार अपनायी जावेगी :-

1. अभ्यार्थियों के जन्म तिथि को विचार में लिया जाकर अधिक आयु के उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
2. बिन्दु क्र. 01 समान होने की दशा में न्यूनतम अर्हता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।
3. बिन्दु क्र. 01 एवं 02 समान होने की परिस्थिति में अभ्यार्थियों के 12वीं परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।

Dean
Medical College, Jabalpur

निरंतर :- 10

18. आवेदन शुल्क:-

उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक, बायोमेडिकल इंजीनियर एवं मेडिकल रिकार्ड ऑफीसर के पद हेतु- अनारक्षित वर्ग हेतु 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये) (900 रूपये विभागीय शुल्क एवं 600/- एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निशक्तजन हेतु 1200/-(बारह सौ रूपये) (600 रूपये विभागीय शुल्क एवं 600/- एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क) राशि आनलाईन जमा होगी।

18. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशें का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नही की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यार्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी.ऑनलाईन को प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50रू.+ जी.एस.टी जमा कर सुधार कर सकेंगे। परन्तु इसके पश्चात भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है ताक ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. गीता गुईन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर

पृ.क्रमांक/स्था/राज/23/
जबलपुर दिनांक /05/2023

प्रतिलिपि- 1. श्री संजय शुक्ला, उप प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. गीता गुईन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर